संख्या-33/2023/।/272611/2023/23-11099(099)/64/2022

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकासएवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 09/02/2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुर्घटना बाहुल्यक्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में जी0 20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रमों के दृष्टिगत 08 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-20/01-आगणन फाईल/23, दिनांक 13-01-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में जी0 20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रमों के दृष्टिगत अधोलिखित तालिका में अंकित 08 कार्यो की कुल लागत रू0 167.05 लाख (रूपये एक करोड़ सरसठ लाख पॉच हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागत के सापेक्ष रू0 133.64 लाख (रूपया एक करोड़ तैतीस लाख चौसठ हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	प्रा0ख0 लखनऊ	जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कार्यक्रमों के दृष्टिगत मनोज पाण्डेय चैराहा से पत्रकारपुरम होते हुए हुसडिया एवं हुसड़िया से हैनीमैन चैराहा तक मार्ग पर रोड़ सेफ्टी का कार्य	10.67	8.54
2	प्रा0ख0 लखनऊ	जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कार्यक्रमों के दृष्टिगत परिवर्तन चौक से फतेद बारादरी मार्ग पर रोड़ सेफ्टी के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा का कार्य।	14.81	11.85
3	प्रा0ख0 लखनऊ	जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कार्यक्रमों के दृष्टिगत गांधी सेतु से निर्मित 08 लेन सेतु होते हुए एल0डी0ए0 कार्यालय के सामने तक मार्ग पर रोड़ सेफ्टी के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा का कार्य।	14.43	11.54
4	प्रा0ख0 लखनऊ	जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कार्यक्रमों के दृष्टिगत लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद के कि0मी0 1, 2, 3(500) में मार्ग पर रोड़ सेफ्टी के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा का कार्य।	32.99	26.39
5	प्रा0ख0 लखनऊ	जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कार्यक्रमों के दृष्टिगत हनुमान सेतु से डालीगंज 4 लेन मार्ग (गोमती नदी पर बांया बन्धा) पर रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा का कार्य।	25.67	20.54
6	प्रा0ख0 लखनऊ	जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कार्यक्रमों के दृष्टिगत गोमतीनगर स्टेशन चौराहे से ग्वारी चौराहा एवं ग्वारी से हुसडिया चौराहा तक मार्ग पर रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा का कार्य।	14.93	11.94

http://shasanadesh.up.gov.in/

7	प्रा0ख0 लखनऊ	जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कार्यक्रमों के दृष्टिगत कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग एवं अम्बेडकर मार्ग (पार्क रोड) पर रोड सेफ्टी का कार्य।	23.10	18.48
8	प्रा0ख0 लखनऊ	जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कार्यक्रमों के दृष्टिगत राणा प्रताप मार्ग से निशातगंज मार्ग पर रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा का कार्य।	30.45	24.36
		योग:-	**167.05**	**133.64**

नियम शर्तें/प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

6- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

7- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

8- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

9- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10- विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

11- जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

12- प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

13- परियोजना का कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

http://shasanadesh.up.gov.in/

14- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04-11-2022 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,33,64,000(रूपये एक करोड़ तैतीस लाख चौसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-515-X-2022-23-दिनांक: 9-2-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/